फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री डालु — **विपक्षी : मेघा**

किस्म मुकदमा –88 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 48/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.01.2004 प्रदर्श 2ए पेश किये। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री डालु का पेश किया। वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पिता लाला के नाम दर्ज थी। लाला के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण लाला के वारिस उदा, मेघा व डालु के पक्ष में पारित किया था। लाला का वारिस मेघा, लाला के भाई देवा के गोद चला गया जो दस्तावेज रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.01.2004 प्रदर्श 2ए से स्पष्ट होता हैं एवं गोदनामें के आधार पर मेघा के पक्ष में दत्तक पिता देवा के नाम दर्ज भूमि में विरासत का नामान्तकरण पारित हो चुका है जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता हैं। वादीगण द्वारा मेघा के गोद चले जाने से एवं दत्तक पुत्र की हैसियत से देवा के नाम दर्ज भूमि मेघा के नाम दर्ज होने से मेघा के नाम लाला की विरासत से दर्ज हुई भूमि को वादी सं. 1 के नाम 1/2 एवं वादी सं. 2/1 से 2/3 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। दस्तावेज के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 1 देवा के गोद चले जाने एवं देवा के नाम दर्ज भूमि का विरासत से दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रतिवादी 1 के नाम नामान्तरकरण पारित होने से मेघा अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में कोई हक नहीं रखता हैं। अतः प्राकृतिक पिता की सम्पति विरासत से मेघा के नाम दर्ज होने से उक्त दर्ज भूमि वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी न. 592 से 597, 894 से 898, 1092 से 1095, 1182 से 1184, 1186 से 1194, 1206, 1207, 1352 से 1367, 1387 से 1394 कुल किता 53 रकबा 145 बीघा एवं आराजी नम्बर 987 रकबा 1 बीघा भूमि में लाला के विरासत के आधार पर मेघा के नाम दर्ज भूमि में से मेघा का नाम हटाते हुए मेघा के नाम दर्ज हिस्से का वादी सं. 1 को 1/2 व वादी सं. 2/1 से 2/3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री [illegible] जारी हो। [illegible] मिसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:23 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]पेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S

उनवान

1. श्री डालु पिता लाला डांगी निवासी विठोली तह. मावली।
2. श्री उदा पिता लाला डांगी फौत के बजाय :–

2/1 श्री भेरूलाल पिता उदा डांगी निवासी विठोली तह. मावली।

2/2 श्रीमती दोलीबाई पत्नी उदा डांगी निवासी विठोली तह. मावली।

2/3 श्रीमती डालीबाई पुत्री उदा डांगी निवासी विठोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री मेघा मुतबन्ना देवा प्राकृतिक पिता लाला डांगी निवासी विठोली तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 48/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00105

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी न. 592 से 597, 894 से 898, 1092 से 1095, 1182 से 1184, 1186 से 1194, 1206, 1207, 1352 से 1367, 1387 से 1394 कुल किता 53 रकबा 145 बीघा एवं आराजी नम्बर 987 रकबा 1 बीघा भूमि में लाला के विरासत के आधार पर मेघा के नाम दर्ज भूमि में से मेघा का नाम हटाते हुए मेघा के नाम दर्ज हिस्से का वादी सं. 1 को 1/2 व वादी सं. 2/1 से 2/3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:23 IST
Reason: SelfAttested